

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 931 सन 2020

अनवान :-

1. गुरजन्तसिंह पुत्र रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर

वादी

बनाम

1. बोहडसिंह पुत्र रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद ।
2. मनजीत कौर पत्नी रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद
3. जसप्रीतकोर पुत्री प्रगटसिंह पुत्र रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर।
4. सतपालसिंह पुत्र जसवीरकोर पुत्री रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 116/40 की कुल 4.6430 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रलदुसिंह के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता रलदुसिंह को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया है रलदुसिंह का एक पुत्र प्रगटसिंह व पुत्री जसवीरकौर का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया हे अर्थात रलदुसिंह एवं उसके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने पर जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रलदुसिंह के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता एवं रलदुसिंह की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन एवं मृतक प्रगटसिंह की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी की मृतक बहन जसवीरकोर का पुत्र है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता रलदुसिंह के नाम से दर्ज है वादी के पिता रलदुसिंह को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया है रलदुसिंह का एक पुत्र प्रगटसिंह व पुत्री जसवीरकौर का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया हे अर्थात रलदुसिंह एवं उसके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने पर


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रलदुसिह के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 116/40 की कुल 4.6430 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रलदुसिह के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता रलदुसिह को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया है रलदुसिह का एक पुत्र प्रगटसिह व पुत्री जसवीरकौर का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात रलदुसिह एवं उसके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने पर जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रलदुसिह के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।


प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता एवं रलदुसिह की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन एवं मृतक प्रगटसिह की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी की मृतक बहन जसबीरकौर का पुत्र है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 116/40 की कुल 4.6430 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रलदुसिह के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी के पिता रलदुसिह को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया है रलदुसिह का एक पुत्र प्रगटसिह व पुत्री जसवीरकौर का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात रलदुसिह एवं उसके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने पर जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रलदुसिह के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है।


उपसंख्य अधिकारी
नोहर


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 116/40 की कुल 4.6430 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक रलदुसिह के नाम से दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गुरजन्तसिंह पुत्र रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर

वादी

बनाम

1. बोहडसिंह पुत्र रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद ।
2. मनजीत कौर पत्नी रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद
3. जसप्रीतकोर पुत्री प्रगटसिंह पुत्र रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर।
4. सतपालसिंह पुत्र जसवीरकोर पुत्री रलदुसिंह जाति जटसिख निवासी सौदोके तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 931 सन 2020 निर्णय दिनांक- 22/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 116/40 की कुल 4.6430 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक रलदुसिंह के नाम से दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर